

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या—9 / उपांकीट०अनु०—16 / 2011—
प्रेषक,

/ कृ०, पटना, दिनांक

2014.

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०स०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

~~प्र०~~
~~१८~~
~~१८~~
~~१८~~
सेवा में
८.११.१५

श्री शशि भूषण कुमार,
मेसर्स फ्रन्टीयर एजेंसीज प्रा० लि०,
H/O—श्री ईश्वरी प्रसाद एवं श्रीमति बबीता सिन्हा,
खेसरा संख्या—1319, खाता संख्या—361,
मौजा—पहाड़ी जकरियापुर,
(मसौढ़ी रोड के पश्चिम) बाईपास रोड, पटना—1

मात्रा
दिनांक
१७३४
२७/११/१४

विषय :— कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञाप्ति संख्या—31 दिनांक 18.08.2011 वैद्यता तिथि 31.12.2014 में इंडोर्समेन्ट के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 के निहित प्रावधानों के आलोचना में मेसर्स ई० आई० डिपोन्ट द्वारा निर्मित निम्नांकित दो कीटनाशियों का इन्डोर्समेन्ट मेसर्स फ्रन्टीयर एजेंसीज प्रा० लि०, अनुज्ञाप्ति संख्या—31 दिनांक 18.08.2011 वैद्यता तिथि 31.12.2014 तक सुनिश्चित किया जाता है।

क्र० सं०	कीटनाशी का नाम
1	Cyantraniliprole 10.26% OD
2	Picoxystrobin 22.52% SC

2—उपरोक्त कीटनाशियों का प्रतिष्ठान द्वारा भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा— मेसर्स फ्रन्टीयर एजेंसीज प्रा० लि०, H/O- श्री ईश्वरी प्रसार एवं श्रीमति बबीता सिन्हा, खेसरा संख्या—1319, खाता संख्या—361, मौजा—पहाड़ी जकरियापुर, (मसौढ़ी रोड से पश्चिम) बाईपास रोड, पटना।

3—यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4 अनुज्ञाप्त प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/ भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5—भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6—अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को समझ में भेजे।

7—नियम 10 बी० के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

8—अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,
ह०/-
(धर्मेन्द्र सिंह)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक ५०३४

कृ०, पटना, दिनांक १५.११.१ 2014
प्रतिलिपि— (1) संयुक्त कृषि निदेशक (संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपायान) बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनाथः एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

१५१
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।